न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 2029–दो/2015 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण क्रमांक 183/2014–15 अपील

1– श्रीमती शॉति देवी पत्नि लखपत सिंह
2– पुष्पराज सिंह पुत्र लखपत सिंह
दोनों ग्राम ढेका तहसील मण्डा जिला सिंगरोली ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– सत्येन्द्रनाथ तिवारी पुत्र महेश्वर तिवारी
क्वा.नं. 360 एन.टी.पी.सी.कालोनी
शक्तिनगर जिला सानभद्र उत्तरप्रदेश
2– शिवराजसिंह पुत्र सुखेन्द्रसिंह ग्राम ढेका
तहसील माडा जिला सिंगरोली म0प्र0 --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 11 –8–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 183/14–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–5–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक–1 ने तहसीलदार माडा के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि उसने अनावेदक क्रमांक 2 से ग्राम ढेका की

भूमि स. क. 85 में से अॅश रकबा 0.12 है. क्रय किया है जिसका नक्शा तर्मीम किया जाय। तहसीलदार ढेका ने राजस्व निरीक्षक वृत्त माड़ा से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण क्रमांक 12 अ-3/12-13 में आदेश दिनांक 20-5-13 पारित किया तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत नक्शा तरमीम प्रस्ताव स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 88/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-11-14 से अपील स्वीकार की गई एंव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20-5-13 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 183/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-15 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19-11-14 निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत लेखी बहस के क्रम में तहसीलदार माढा के प्रकरण क्रमांक 12 अ-3/12-13 की आडरशीट दिनांक 10-3-13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि उन्होंने आडरशीट इस प्रकार लिखी है :-

" प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया। मूल प्रकरण उपलब्ध होना नहीं पाया जाता रा.नि. एंव आवेदन तथ्य आपत्तिकर्ता की आपत्ति संलग्न प्रकरण है।

1. **नवीन प्रकरण पॅजीबद्ध किया जाय।**
2. **चूकी प्रकरण में R.I.Report प्राप्त है तथा आपत्तिकर्ता के द्वारा लिखित आपत्ति पेश है अतः प्रकरण अवलोकन एंव आदेश हेतु नियत किया जाता है।**

तहसीलदार की उपरोक्त आडरशीट प्रकट करती है कि जब दिनांक 10-3-13 को आपत्तिकर्ता की आपत्ति आडरशीट पर ली गई है, आपत्तिकर्ता को लेखी/ मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये था, किन्तु तहसीलदार ने ऐसा न करते हुये प्रकरण सीधे आदेश हेतु 20-5-13 के लिये नियत कर दिया तथा दिनांक 20-5-13 के पूर्व पक्षकारों की बहस भी श्रवण

नहीं की गई एंव दिनांक 20-5-13 को अंतिम आदेश भी पारित कर दिया । हालॉकि अनुविभागीय अधिकारी, सिंगरोली ने तहसीलदार के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है, किन्तु तहसीलदार का आदेश निरस्त कर देने से पक्षकारों की नक्शा तरमीम समस्या का समाधान नहीं हुआ है अपितु भूमि एंव उसके नक्शे को तहसीलदार के आदेश दिनांक 20-5-13 के पूर्व की स्थिति में पहुंचा दिया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 19-11-2014 दोषपूर्ण है । अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 183/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-15 से तहसीलदार माढ़ा के आदेश दिनांक 20-5-13 को पुष्टिकृत किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश भी उपरोक्त विवेचना प्रकाश में दोषपूर्ण है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 183/14-15 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-5-15 , अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली व्दारा प्रकरण क्रमांक 88/13-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-11-14 तथा तहसीलदार माडा व्दारा प्रकरण क्रमांक 12 अ-3/12-13 में पारित आदेश दिनांक 20-5-13 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार माढ़ा की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वाद विचारित भूमि के नक्शा तर्मीम प्रस्ताव अधीक्षक भू अभिलेख से प्राप्त करें तथा सभी हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर